

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली-92

फा0 सं सी.आई./डी.सी.आई./क्यू.सी./2018/513-516

दिनांक: 03-08-2

सेवा में,

उप सचिव(प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली -54.

विषय: दिल्ली विधानसभा तारांकित/प्रश्न संख्या 51 दिनांक 08.08.2018 को
सदन की बैठक हेतु ।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय
मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीया,

लक्ष्मी कृष्णन

(लक्ष्मी कृष्णन)

उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की
दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर
की 150 प्रतियां सहित ।

लक्ष्मी कृष्णन

उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

विभाग का नाम :- कार्यालय आयुक्त उद्योग
विभाग का पता:-कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली-110092

तारांकित प्रश्न संख्या: 51
दिनांक : 08/08/2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मनोज कुमार

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	कौडली विधानसभा में डीएसआईआईडीसी की कितनी औद्योगिक इकाईयां है;	(क) एवं (ख)
(ख)	कितनी इकाईयां आवंटित की जा चुकी है और कितनी खाली पड़ी है; और	कौडली विधानसभा क्षेत्र में कल्याणपुरी एवं खिचड़ीपुर में कुल 388 वर्क्स स्टेशन/लघु औद्योगिक इकाईयां का प्रावधान है जिसमें से 379 इकाई आवंटित हैं एवं बाकी 9 खाली हैं।
(ग)	वर्ष-2015 से अब तक इन इकाईयों को दी गई सुविधाओं का विवरण क्या है ?	इन इकाईयों को डीएसआईआईडीसी द्वारा वर्ष 2015 के बाद अन्य सुविधाओं के साथ निम्न सुविधायें दी गई है:- 1. पट्टा के आधार पर आवंटन के मामलों में ब्याज की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। 2. लाईसेन्स फीस/पट्टा के आधार पर आवंटित इकाईयों के एक मुस्त खरीद हेतु 2007 में लाई गई योजना को अभी भी लागू रखा गया है और वर्ष 2015 से अब तक 20 आवंटियों ने इसका लाभ उठाया है।

विनोद कुमार
(विनोद कुमार)
उपायुक्त (उद्योग)